दिनांक–19.05.2021 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में राज्य के जनता के लिए कोरोना काल में चलायी जा रही नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित लोक कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

दिनांक–19.05.2021 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में राज्य की शहरी एवं ग्रामीण जनता के लिए वर्तमान कोरोना काल में चलायी जा रही विभागीय लोक कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा के क्रम में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संचालित दो योजनाओं यथा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत SHG का गठन, शहरी दूकानदारों के लिए वेंडिंग जोन की स्थापना एवं सबके लिए आवास योजना की समीक्षा की गयी।

2. (क) प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा उल्लेख किया गया कि DAY-NULM के SM & ID घटक अंतर्गत राज्य के 142 नगर निकायों में संचालित एवं अबतक कुल 23645 स्वयं सहायता समूह (SHGs) का गठन किया जा चुका है। इस संबंध में समीक्षा के क्रम में निम्नरूपेण स्थिति प्रतिवेदित की गई:–

(i) गठित समूहों को आर्थिक गतिविधि प्रारंभ करने हेतु प्रति समूह रू0 10,000/– (दस हजार) Revolving Funds के रूप में प्रदान किया जा रहा है। अबतक 18431 समूहों को Revolving Funds दिया जा चुका है।

(ii) Covid-19 महामारी के दौरान 2265 स्वयं सहायता समूह (SHGs) द्वारा 1251456 मास्क एवं 35882 लीटर Sanitizer का उत्पादन किया गया एवं राज्य में कुल 12237 स्वयं सहायता समूह (SHGs) को आय–जनक गतिविधियों से जोड़ा गया है।

(iii) स्वयं सहायता समूह (SHGs) के उत्पादों की बिक्री बढ़ाने हेतु Online Marketing Platform जैसे Flipkart एवं Amazon के साथ समन्वय कर बिक्री की जा रही है।

(ख) मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि Covid-19 महामारी के दौरान अधिक से अधिक महिलाओं को ऐसे स्वंय सहायता समूहों से जोड़ा जाय, ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके।

3. वेंडिंग जोन की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि कुल 14 नगर निकायों (पटना, आरा, बक्सर, भागलपुर, डुमरांव, मोतिहारी, छपरा, बिहिया, गोपालगंज, सासाराम, दरभंगा, मोतीपुर, सीतामढ़ी, खगड़िया) में 57 वेंडिंग जोन का निर्माण प्रस्तावित है। विभाग द्वारा नगर निकायों में अबतक कुल 24 वेंडिंग जोन (पटना–02, आरा–01, बक्सर–01, भागलपुर–01, डुमरांव–01, मोतिहारी–01, छपरा–04, बिहिया–02, गोपालगंज–04, सासाराम–01, दरभंगा–02, मोतीपुर–01, सीतामढ़ी–03) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इसमे से भागलपुर में एक वेंडिंग जोन का निर्माण कार्य पूर्ण कर संचालन प्रारंभ कर दिया गया है तथा शेष 23 वेंडिंग जोन्स का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त वेंडिंग जोन निर्माण हेतु 33 प्रस्ताव की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है जिसमें पटना नगर निगम अंतर्गत 32 वेंडिंग जोन एवं खगड़िया नगर परिषद अंतर्गत 01 वेंडिंग जोन है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि शीघ्र इन वेंडिंग जोन का निर्माण पूर्ण किया जाय, ताकि इनके माध्यम से छोटे दूकानदार जीविकोपार्जन कर सके।

4. प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना भारत सरकार द्वारा दिनांक–17.06.2015 को प्रारंभ की गयी। योजना की मिशन अवधि 2015–22 है। योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र के आवास विहीन परिवारों को मिशन अवधि में योजना के विभिन्न घटकों के अतंर्गत पक्का आवास उपलब्ध कराना है।

5. (क) प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना की समीक्षा के क्रम में निम्नलिखित चार घटको का उल्लेख किया गया :–

(I) स्व–स्थाने स्लम पुर्नविकास (In-situ slum redevelopment using land as resource):- इस घटक में केन्द्र सरकार /राज्य सरकार/नगर निकाय/निजी भूमि पर निजी भागीदारी से मलीन बस्ती में आवसितों को आवास उपलब्ध कराया जाना है।

(II) भागीदारी में किफायती आवास (Affoordable Housing in Partnership):- इस घटक के अंतर्गत निजी–सार्वजनिक भागीदारी से आवास उपलब्ध कराया जाना है।

(III) ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी (Credit Linked Subsidy Scheme):- इस घटक के अंतर्गत कमजोर आय वर्ग के तीन लाख एवं निम्न आय वर्ग के छः लाख तक के आवास ऋण पर 20 वर्ष के लिए 6.5% की दर से ब्याज सब्सिडी का प्रावधान है। वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा मध्यम आय वर्ग MIG-1 (न्यूनतम वार्षिक आय 12 लाख) एवं MIG-2 (न्यूनतम वार्षिक आय 18 लाख) को भी क्रमशः 04 प्रतिशत एवं 03 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।

(IV) लाभार्थी आधारित निर्माण (Beneficiary-led individual house construction or enhancement):- इस घटक के अंतर्गत लाभार्थी को अपनी जमीन पर आवास निर्माण हेतु 02 लाख रू0 (1.50 लाख केन्द्रांश एवं 0.50 लाख राज्यांश) का प्रावधान है।

(ख) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 140 शहरों में माँग सर्वेक्षण पूर्ण कर इनका Housing for All Plan of Action (HFAPoA) SLSMC की स्वीकृति के उपरांत भारत सरकार को भेजा गया है, जिसमें 5.50 लाख आवास की आवश्यकता प्रतिवेदित है। प्रतिवेदित 5.50 लाख में से 4.00 लाख ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी एवं लाभार्थी आधारित निर्माण घटक से पूर्ण किया जाना है शेष 1.50 लाख स्व–स्थाने स्लम पुर्नविकास एवं भागीदारी में किफायती आवास से पूर्ण किया जाना है।लाभार्थी आधारित निर्माण घटक अंतर्गत 3,37,685 आवास निर्माण की स्वीकृति SLSMC एवं CSMC द्वारा प्रदान की गयी है।

(ग) मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि इन योजनाओं को त्वरित गति से क्रियान्वित करते हुए इनका लाभ पात्रता श्रेणी के लोगों को शीघ्र पहुँचाया जाय।

6. अंत में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा विभाग अन्तर्गत संचालित उपरोक्त लोक कल्याणकारी योजना के समुचित कार्यान्वयन एवं इस हेतु सतत अनुश्रवण एवं समीक्षा करने का निदेश दिया गया।

धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

27/5/21
मुख्य सचिव,
बिहार।

(प्रधान सचिव)
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–03/विविध–15–01/2021 596 दिनांक– 31.05.2021

प्रतिलिपि–नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद/नगर पंचायत को सूचनार्थ एवं आवाश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/निदेशक, बुडा/अपर निदेशक, नगरपालिका स्वच्छता एवं विकास निदेशालय/आई0 टी0 प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग/टीम लीडर DAY-NULM/ टीम लीडर SLTC को सूचनार्थ प्रेषित।

31.05.21

विशेष कार्य पदाधिकारी,
नगर विकास एवं आवास विभाग।